"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 फरवरी 2016— माघ 14, शक 1937

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
"11	तहसील कार्यालय	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ परियोजना	30 कार्य दिवस	तहसीलदार	तहसीलदार/ अधीक्षक भू-अभिलेख	अनुविभागीय अधिकारी
	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर

1	2	3	4	5	6	7
	कार्यालय कलेक्टर	धारा 59 के अन्तर्गत पुनर्निर्धारण आवासीय क्षेत्र/ आवासीय कॉलोनी/ सार्वजनिक परियोजना/ संस्थागत परियोजना, चिकित्सा सेवायें, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजना	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	कलेक्टर	आयुक्त"

No. F-4-124/7-3/2011.— In exercise of the powers conferred by Section 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-4-124/7-3/2011, dated 16th December, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of said notification,-

After serial number 10 and entries relating thereto, the following shall be added; namely :-

S. No.	Name of Office/ Body/ Agency	Services to be provided for Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Period of providing Services (working day)	Designated Officer providing Service (post)	Competent Officer	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
"11	Tehsil Office	Rescheduling under Section 59 Residential Area/ Residential Colony/ Project	30 Working Days	Tehsildar	Tehsildar/ Superintendent Land-Records	Sub Divisional Officer
	Office of Sub Divisional Officer	Rescheduling under Section 59 Residential Area/ Residential Colony/ Public Project/ Institutional Project	30 Working Days	Sub Divisional Officer (Revenue)	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector
	Office of Collector	Rescheduling under Section 59 Residential Area/ Residential Colony/ Public Project/ Institutional Project, Medical Services, Commercial and Industrial Projects	30 Working Days	Collector	Collector	Commissioner"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.